(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 32/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः– आलू की निर्यात नीति– आलू के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाने संबंधी।

सा0 आ0 (अ0): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, आलू के निर्यात से संबंधित दिनांक 26 जून, 2014 की अधिसूचना सं0 85 (आर ई–2013)/2009–2014 के साथ पठित दिनांक 26 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं0 15/2015–20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 26.07.2016 की अधिसूचना सं0 15/2015–20 के पैरा 1 को संशोधित किया जाता है जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

''निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 के कम संख्या 50 क पर आलू, ताजा अथवा शीत गृह में रखा हुआ का निर्यात किसी भी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) के बिना अनुमत होगा''

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

ऊपर यथा वर्णित आलू बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य (इमईपी) के निर्यात हेतु अनुमत है।

अजय भल्ला
(ए0 के0 भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/82/ए एम 15/ निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)